संख्याः 1268/79–6–2013–304/2010

प्रेषक,

सुधा श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

शिक्षा (6) अनुभाग

लखनऊः दिनांकः 17 जनवरी, 2014

विषयः मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक कम हेल्पर के मानदेय मद में वित्तीय स्वीकृति की तृतीय किश्त निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या–म0भो0प्रा0/3333/2013–14 दिनांक 20–12–2013 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0–3026/79–6–2009 दिनांक 26.12.2009 के द्वारा कुक–कम–हेल्पर को रू0 1000/–प्रतिमाह प्रति रसोइया की दर पर मानदेय के रूप में भुगतान किया जाना निर्धारित किया गया है, जिसमें केन्द्रीय सहायता रू0 750/– एवं राज्यांश रू0 250/– प्रति रसोइया होगा । अतएव भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष रू0 750/– प्रति रसोइया की दर पर जनपदों द्वारा उपलब्ध करायी गयी संख्या के आधार पर केन्द्रांश के रूप में रू0 6208.49 लाख (रूपये बासठ करोड़ आठ लाख उन्नचास हजार मात्र) तथा राज्यांश के रूप में रू0 2069.58 लाख (रूपये बीस करोड़ उन्हत्तर लाख अटठावन हजार मात्र) अर्थात कुल रू0 8278.07 लाख (रूपये बयासी करोड़ अट्ठहत्तर लाख सात हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार अवमुक्त किए जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि उक्त धनराशि का व्यय कुक कम हेल्पर को निर्धारित दर से मानदेय अथवा वास्तव में भुगतान किए गये मानदेय, जो भी कम हो, तक सीमित रखा जायेगा।

2– इस धनराशि के लेखों के रख–रखाव की समस्त कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी तथा तीन–तीन माह के अन्तराल में व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक,मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराए जाएंगे ।

3– जनपदों द्वारा उक्त मद में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति को ग्राम पंचायत के कार्यदायी संस्था होने की स्थिति में मध्यान्ह भोजन निधि में उपलब्ध कराया जाएगा जबकि एनजीओ, वार्ड समिति , महिला समाख्या आदि द्वारा योजना के संचालन की स्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्था के इस प्रयोजन हेतु खोले गये खातों में उपलब्ध कराया जाएगा ।

vk budget..RP

4— मध्यान्ह भोजन निधि तथा कार्यदायी संस्था के बैंक खाते से कुक— कम— हेल्पर को मानदेय का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाएगा एवं इस हेतु संबंधित कुक—कम—हेल्पर का बचत बैंक खाता खुलवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

5— उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013—14 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—71 के अधीन लेखा शीर्षक '2202—सामान्य शिक्षा—01—प्रारम्भिक शिक्षा—आयोजनागत—112—विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम—01—केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—0103—कुकिंग लागत आदि (के.75/रा. 25—के + रा0)—20—सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

6— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—ई—11—11/दस—2014 दिनांक 16 जनवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक—यथोक्त ।

भवदीया,

(सुधा श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार,उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2— श्रम आयुक्त, उ0प्र0 कानपुर ।
3— निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,उ0प्र0,लखनऊ।
4— समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तर प्रदेश ।
5— अनुश्रवण प्रकोष्ठ, बेसिक शिक्षा विभाग ।
6— नियोजन विभाग अनुभाग—4,उ0प्र0 शासन ।
7— वित्त ई—11 अनुभाग,उ0प्र0 शासन ।
8— बजट अनुभाग—2,उ0प्र0 शासन ।
9— वित्त नियंत्रक,बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ।
10— संबंधित समस्त सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
11— संबंधित समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उ0प्र0।
12— संबंधित समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग।
13— राज्य परियोजना निदेशक, महिला समाख्या, उ0प्र0 लखनऊ।
14— गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(सुधा श्रीवास्तव)
उप सचिव ।

vk budget..RP